(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारॉं (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 15/2025

रजिस्ट्रेशन सं0 :– 2025/52

बउनवान

1. कल्याणमल पुत्र बंशीलाल सहरिया निवासी गोडियामेहर तहसील छबड़ा जिला बारां (राज.)
2. राधेश्याम गाडरी पुत्र श्री लाल निवासी गोडियामेहर तहसील छबड़ा जिला बारां (राज.)
3. मथुरालाल गाडरी पुत्र श्री लाल निवासी गोडियामेहर तहसील छबड़ा जिला बारां (राज.)
4. परसा मीणा पुत्र अमरलाल निवासी गोडियामेहर तहसील छबड़ा जिला बारां (राज.)

(अपीलांटगण)

बनाम

1. नरेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री लाल जाति ब्राह्मण निवासी गोडियामेहर तह. छबड़ा जिला बारां (राज.)
2. अक्षय शर्मा पुत्र नरेन्द्र कुमार जाति ब्राह्मण निवासी गोडियामेहर तह. छबड़ा जिला बारां(राज.)
3. तहसीलदार महोदय तहसील छबड़ा जिला बारां (राज.)

(रेस्पोडेन्टगण)

अपील विरूद्ध तहसीलदार छबड़ा द्वारा प्रकरण संख्याः– राजस्व/धारा 251/रास्ता/2020/1/2556–60 में पारित निर्णय दिनांक 05.08.2020 की अन्तर्गत धारा 251 आर.टी.एक्ट, 1955 के तहत

उपस्थित :– 1– श्री शैलेष मेहता अभिभाषक (अपीलांटगण)
2– श्री कृष्णकांत शर्मा अभिभाषक (रेस्पो. क्र. 1 व 2)
3– पेरोकार सरकार (रेस्पोडेन्ट क्रम 3)

निर्णय दिनांक 29.08.2025

अपीलांटगण द्वारा जर्ये विद्वान अभिभाषक तहसीलदार छबड़ा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 आर.टी.एक्ट के तहत प्रकरण संख्या :– राजस्व/धारा 251/रास्ता/2020/1/2556–60 में पारित निर्णय दिनांक 05.08.2020 से अप्रसन्न होकर अपील विरूद्ध रेस्पोडेन्टगण के इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

इस पर प्रस्तुत अपील को दिनांक 26.06.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया और अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबड़ा से मूल पत्रावली तलब की गई जो प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली की गई। रेस्पोडेन्ट क्रम 01 व 02 द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थिति दी गई। रेस्पो. क्रम 03 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित है। प्रकरण मे सर्वप्रथम लिमिटेशन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी जाकर, स्वीकार किया जाकर, प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई ।

अपीलांटगण के अभिभाषक द्वारा दौराने प्रस्तुत अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि रेस्पो. क्रम 01 व 02 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 03.03.2020, मौका कमिश्नर निरीक्षक भू–अभिलेख वृत्त बापचा व पटवारी पटवार मण्डल गोडिया मेहर की रिपोर्ट दिनांक 23.06.2020, नक्शा किश्तवार ग्राम गोडियामेहर खसरा नं0 290,292,315, 314,312,313,393 आद का पत्र दिनांक 19.06.2020,18.05.2020 ग्राम गोडियामेहर की जमाबंदी संवत् 2073–76 के खाता नं. 116 की नकल, सरपंच ग्राम पंचायत गोडियामेहर का पत्र दिनांक 19.05.2020, मोका कमिश्नर निरीक्षक भू–अभिलेख वृत्त बापचा व पटवारी पटवार मण्डल गोडियामेहर की मौका रिपोर्ट दिनांक 08.06.2020, ग्राम गोडियामेहर की जमाबंदी संवत् 2073–76 के खाता नं. 20,224,48 की नकल व जवाब दिनांक 16.07.2020 के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण विधिवत् सुनवाई किये बगैर हीं निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट क्रम 01 के कब्जे–काश्त एवं खाते की आराजी खसरा नं. 1002, 236 व 292 कुल किता 3 कुल रकबा 1.34 हैक्टर, अपीलांट क्रम 2 ता 3 आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.09.04 11:54:43 IST
Reason: SelfAttested

खसरा नं. 314,572,811 कुल किता 3 कुल रकबा 3.07 हैक्टर व इसी प्रकार अपीलांट क्रम 04 की आराजी अवस्थित है एवं रेस्पो. क्रम 1 व 2 के खसरा नं. 290, 290/2 पर जाने का कोई रेवेन्यू रिकार्ड में सरकारी रास्ता कायम नहीं है। रेस्पोडेन्टगण का पूर्व में भोलाराम, किशन ब्राह्मण, श्यामलाल के पास से होकर आता है जो आज भी कायम है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमाने तरीके से बिना किसी शहादत के विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण की अनुपस्थिति में अदम हाजरी अदम पैरवी में निर्णय पारित किया गया है। निर्णय पारित करते समय अपीलांटगण को सूचित नहीं किया गया है। इस निर्णय की जानकारी अपीलांटगण को मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 04.06.2025 को 4–5 साल बाद दी गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के वैल्यूबल राईट को ध्यान में न रखते हुए निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में कहीं भी नहीं दर्शाया गया कि पत्थर डाल कर रास्ता बनाना है। मात्र रास्ता खुलासा करने का आदेश पारित किया गया लेकिन रेस्पो. क्रम 1 व 2 द्वारा मनमाना तरीके से जबरन व ताकत के बल पर अपीलांटगण के खेत में पत्थर डाल दिये गये है जिससे अपीलांटगण के खेतों में बरसाती मौसम में पानी भरने से फसल खराब होने का पूरा–पूरा अंदेशा हो गया है। अपीलांटगण के खोतों की उर्वरक क्षमता भी खत्म होने की संभावना है। अपीलांटगण को 8 फुट रास्ता कायम करने वाली आराजी का कोई क्षतिपूर्ति राशि भी नहीं दिलवाई गई है क्योंकि अपीलांटगण की रास्ते में कई बिस्वा जमीन नष्ट हो गई है। रेस्पो. क्रम 1 व 2 द्वारा मिथ्या आधारों पर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। पूर्व में रेवेन्यू रेकार्ड में कोई सरकारी रास्ता कायम नहीं था, उसके बावजूद भी 251 आर.टी.एक्ट में मनमाने तरीके से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विधि विरूद्ध कार्य किया गया है। अगर सरकारी रेकार्ड में रास्ता नहीं है तो नया रास्ता वैकल्पिक रूप से कायम किया जाता है जिसके लिए रेस्पो. क्रम 1 व 2
द्वारा 251 क आरटीएक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिये था जो नहीं किया गया है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय संदेहास्पद है। अपीलांटगण गरीब किसान जिनकी आजीविका खेती पर निर्भर है। अपीलांटगण के खाते की जमीन में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पालनार्थ रास्ता बनाया जाता है तो अपूरणीय क्षति होगी।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांटगण स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्याः– राजस्व/धारा 251/रास्ता/ 2020/1/2556–60 में पारित निर्णय दिनांक 05.08.2020 को निरस्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान करें।

रेस्पोडेन्ट क्रम 01 व 02 के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा मे हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था कि ग्राम गोडिया मेहर मे हमारे खेत पर जाने का रास्ता बन्द किया जाकर राधेश्याम गाडरी पुत्र श्री लाल, परसा मीणा पुत्र अमरलाल, कल्याणमल पुत्र बंशीलाल सहरिया वगैराह निवासी गोडिया मेहर द्वारा तार फैन्सी कर दी गई है जिससे हमे खेती के काम ट्रेक्टर से जाने मे परेशानी हो रही है। इस तहसीलदार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट/मौका पर्चा दिनांक 23.06.2020 ली गई। जिसमे अंकित किया गया कि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 290 मे जाने हेतु मौके पर कोई रास्ता नही है। रास्ते के सम्बन्ध मे हमने मौके पर उपस्थित लोगो से पूछताछ की तो बताया कि प्रार्थी के खेत मे आने–जाने हेतु कई वर्षो से [illegible] नम्बर 314 के खातेदार राधेश्याम, मथुरालाल पुत्र श्रीलाल गाडरी एवं खसरा नम्बर 29[illegible]दार कल्याणमल पुत्र बंशीलाल सहरिया ने उक्त रास्ते को जो ग्राम वासिया[illegible] की बाढ लगाकर व हांककर रोक दिया है। जिससे मौके [illegible] गई। उक्त खातेदारो ने अपनी भूमि मे से होकर रास्ता देने के लिये मना कर दिया और लडाई–झगडे पर आमादा हो गये। नक्शे लट्टे मे भी उक्त रास्ते की भूमि पडत होकर लाईन ब[illegible]हुयी है, जो कदमी है। उक्त पुराने कदमी रास्ते को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खुलासा करवाये जाने का आदेश पारित किया जाकर खुलासा करवाया गया है। प्रकरण मे नया रास्ता कायम नही किया गया है। अपीलांटगण को भी विधिवत जरिये सम्मन तलब किये जाकर जवाबदेही का अवसर दिया गया, उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा मे जवाब भी प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा विधिवत रूप से पारित निर्णय सहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.09.04 11:54:43 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में उभयपक्ष के अभिभाषक की बहस सुनी गई। प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबडा से प्राप्त मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलांटगण के अभिभाषक का मुख्य कथन है कि रास्ता रिकार्ड मे नही है हमारे खाते की जमीन से जबरन रास्ता ले रहे है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा पारित आदेश को खारिज किया जावे।

प्रकरण मे रेस्पोडेन्टगण के अभिभाषक का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा उनके न्यायालय मे प्रस्तुत रास्ता बन्द करने के प्रार्थना पत्र पर भू–अभिलेख, बापचा की रिपोर्ट दिनांक 23.06.2020 ली गई थी, उक्त रिपोर्ट मे अंकित किया गया है कि ग्राम वासियान द्वारा बताये प्रचलित कदीमी रास्ते को कटीले तारो की बाढ लगाकर व हांककर अपीलांटगण द्वारा रोक दिया है। अपीलांटगण द्वारा अवरूद्व किये गये प्राचीन कदमी रास्ते को खुलासा करवाये जाने का आदेश दिया गया है, जो सही है। अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा मे जवादेही कर अवसर भी दिया गया है ओर उनके द्वारा जवाब भी प्रस्तुत किया गया है। अतः अपील अपीलांटगण खारिज की जावे।

प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय तहसीदार छबडा मे रेस्पोडेन्टगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 आर.टी.एक्ट मे पारित निर्णय दिनांक 05.08.2020 जो उभयपक्ष को सुना जाकर जवाबदेही का अवसर प्रदान कर, पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट ली जाकर निर्णय पारित किया गया है, जो सही प्रतीत होता है। जिसमे यह न्यायालय किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझता है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांटगण सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक **29.08.2025** को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर,
बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.09.04 11:54:43 IST
Reason: SelfAttested